



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2016/माघ 16, 1937

No. 87]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2016/MAGHA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

सं. 8/2016-सीमा शुल्क

सा.का.नि.147(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/89-सीमा शुल्क, दिनांक 9 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 12 (अ), दिनांक 9 जनवरी, 1989 के तहत प्रकाशित की गई थी, का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, यहां संलग्न अनुसूची I में वर्णित वस्तुओं को, जब उनका यहां संलग्न अनुसूची II में वर्णित अवसरों पर प्रदर्शन या प्रयोग हेतु भारत में आयात किया गया हो, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम सूची में यथा निर्दिष्ट उन पर लगने वाले सम्पूर्ण सीमा शुल्क से तथा उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से पुनः निर्यात और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है, यथा,-

- (1) आयातकर्ता, आगम पत्र को भरते समय उप-आयुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क के समक्ष अनुसूची- III में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में इस आशय की घोषणा करेगा कि उक्त वस्तुओं के आयात का उद्देश्य संलग्न अनुसूची II में वर्णित किसी अवसर पर प्रदर्शन या उपयोग के लिए किया गया है:

बशर्ते कि, बहुमूल्य, सामान्य मूल्य रत्नों तथा आभूषणों के मामले में आयातकर्ता इस आशय का प्रमाणपत्र, जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, के द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करेगा कि जिस अवसर के लिए इन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनको उनके द्वारा अनुमोदित या प्रायोजित या आयोजित किया जा रहा है।

- (2) आयातकर्ता वस्तुओं के मूल्य के बराबर एक बंधपत्र निष्पादित करेगा और साथ में बैंक गारंटी या नकद जमा राशि जो कि उस पर लगने वाले शुल्क के 110 प्रतिशत के बराबर होगी, यदि छूट न दी गई हो तो, भी जमा करेगा:

बशर्ते कि जहां कि ऐसा आयात केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत में कोई राजनयिक मिशन या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि संयुक्त राष्ट्र (विशेषधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का

- 46) की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित है, द्वारा किया जाता है तो ऐसे आयातकर्ता को ऐसी बैंक गारंटी या नकद राशि को जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) उपायुक्त सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, की अनुमति के बिना वस्तुओं को प्रदर्शन स्थल से हटाया नहीं जाएगा;
- (4) पुनः निर्यात के समय वस्तुएं पहचान की जा सकने वाली हालत में हों;
- (5) आयातकर्ता को वस्तुओं की समुचित तरीके से पहचान किए जाने हेतु उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करना होगा; तथा
- (6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 के तहत वस्तुओं के अनापत्ति आदेश की अनुमति लेने की तिथि से छह महीनों की अवधि के भीतर वस्तुओं का पुनः निर्यात करना होगा:

बशर्ते, जहां केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, भारत में राजनयिक मिशन अथवा संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 के तहत अधिसूचित किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आयात किया गया हो, इस संबंध में किए गए आवेदन पर आयुक्त, सीमा शुल्क हर बार इस अवधि को छह महीने की अवधि तक बढ़ा सकते हैं परंतु यह अवधि, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 के तहत जारी आदेश की तारीख से 2 वर्षों से अधिक नहीं होगी :

बशर्ते इस अधिसूचना के तहत आयातित वस्तुओं का, पुनः निर्यात के लिए अनुमतः अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी तारीख को ऐसी वस्तुओं पर लागू किसी कानून के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर भुगतान की जाने वाली सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान पर परंतु इस अधिसूचना में निहित छूट इस पर लगने वाले ब्याज सहित, घरेलू उपभोग किया जा सकेगा:

बशर्ते यह भी कि, खराब होने वाली वस्तुओं, क्षतिग्रस्त अथवा विकृत वस्तुओं को पुनः निर्यात नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि,-

- (क) इन वस्तुओं को, उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को, सभी खर्चों से देय-मुक्त रूप में सौंप दिया जाये; या
- (ख) उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क की अनुमति से, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क की निगरानी में वस्तुएं क्षतिग्रस्त हुई हों।

बशर्ते यह भी कि पुनः निर्यात करने की अपेक्षा, माल की ऐसी मात्रा और मूल्य पर लागू नहीं होती है जिसके बारे में उपायुक्त, सीमा शुल्क अथवा सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हैं कि यह कार्यक्रम की प्रकृति, इसमें आने वाले दर्शकों की संख्या और भाग लेने वाले प्रदर्शकों की भागीदारिता के कार्यस्वरूप के दायरे को देखते हुए यथोचित है, बशर्ते कि ऐसी वस्तु या तो आयात की गई हो या आयातित माल से विनिर्मित की गई हो और इस कार्यक्रम में,-

- (क) सार्वजनिक कार्यक्रम में नमूने के तौर पर व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए शुल्क मुक्त आपूर्ति की गई हो; या
- (ख) प्रदर्शन के दौरान इसका उपभोग किया गया हो या यह नष्ट हो गई हो ; या
- (ग) कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शकों के लिए अस्थायी शिविर के निर्माण, तैयार करने या इसके सजावट में उपयोग की गई हो,

2. पैराग्राफ 1 में शर्त (6) के चौथे परंतुक में विहित कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,-

- (i) सभी प्रकार के रत्न और जवाहरात;
- (ii) ड्रग्स तथा मेडिसिन; तथा
- (iii) सभी प्रकार की घड़ियां।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी; यथा :-

- (i) वाइन, स्पिरिट तथा अन्य अल्कोहल वाले पेय-पदार्थ, तथा
- (ii) तम्बाकू तथा उससे निर्मित वस्तुएं।

अनुसूची-I**वस्तुएं**

1. अनुसूची II में विनिर्दिष्ट प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शन अथवा प्रयोग हेतु वस्तुएं।
2. वस्तुओं के प्रदर्शन हेतु उपयोग किए जाने के लिए वस्तुएं, जिनमें शामिल हैं,-
 - (क) प्रदर्शकों के अस्थायी स्टैंड हेतु इलेक्ट्रिक फिटिंग्स सहित निर्माण तथा सजावट की सामग्री;
 - (ख) प्रचार-सामग्री जैसे कि प्रिंटेड मैटर, केटालॉग, विज्ञापन-पोस्टर, कैलेंडर, फोटोग्राफ, भले ही वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हों, तथा उन के साथ उपयोग किए जाने वाला उपकरण।
3. इंटरप्रिटेशन उपकरण, साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण तथा इसी प्रकार के अन्य उपकरण।
4. शैक्षणिक, वैज्ञानिक अथवा सांस्कृतिक चरित्र की फिल्में।
5. मुद्रित सामग्री।
6. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित फिल्म महोत्सव में प्रदर्शनी हेतु आयातित फिल्में।
7. एयरक्राफ्ट के बचे हुए ईंधन के रूप में निहित एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि जब भारत से बाहर से आता हो, और एयरो शो के दौरान उसकी खपत हुई हो।

अनुसूची-II**कार्यक्रम**

1. व्यापार, औद्योगिक, कृषि अथवा शिल्प प्रदर्शनी, मेला अथवा इसी प्रकार के शो।
2. प्रदर्शनी, सम्मेलन अथवा सभा।
3. लर्निंग, कला, शिल्प, खेलकूद अथवा वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधि, लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाना, धार्मिक ज्ञान अथवा पूजा-पाठ की किसी भी विषय का प्रचार करने के लिए आयोजित कोई भी कार्यक्रम।
4. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित फिल्म महोत्सव।
5. आधिकारिक या स्मरणीय चरित्र की प्रतिनिधि बैठक।
6. केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित एयरो शो।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश, प्रशासन जैसा भी मामला हो, के समक्ष कोई प्रदर्शन।
8. कोई कार्यक्रम, जो कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक के समकक्ष अधिकारी के द्वारा, इस आशय से प्रमाणित हो, कि यह कार्यक्रम भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित अथवा प्रयोजित है।

स्पष्टीकरण,- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में दुकानों अथवा कारोबारी परिसरों में विदेशी वस्तुओं की बिक्री हेतु निजी उद्देश्यों के लिए आयोजित प्रदर्शनियों को शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुसूची III**घोषणा**

मैं/हम (आयातकर्ता का नाम/पताआईसी सं.घोषणा करता/ करते हूँ/हैं कि दिनांकको प्रविष्टि सं.बिल के अधीन आयातित वस्तुएं दिनांकसेतक (स्थान का ब्यौरा) पर आयोजित होने वाले (अनुसूची II के अनुसार क्रम सं. सहित कार्यक्रम का ब्यौरा) प्रदर्शन अथवा प्रयोग हेतु अपेक्षित हैं।

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(दूरभाष सं.)

(ई-मेल)

तारीख :

स्थान :

[फा.सं. 18000/1/2015-ओएसडी (आईसीडी)]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2016

No. 8/2016 – Customs

G.S.R.147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/89-Customs, dated the 9th January, 1989, vide number G.S.R. 12 (E), dated the 9th January, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods described in Schedule I annexed hereto, when imported into India for display or use at an event specified in Schedule II annexed hereto, from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975 subject to re-export and the conditions that, -

- (1) the importer shall submit a declaration to the effect that the goods imported are intended for display or use at an event specified in Schedule II in the format specified in Schedule III annexed hereto, to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of filing the Bill of Entry:

Provided that in case of imports of precious, semi-precious stones and jewellery the importer shall submit a certificate issued by the Gems and Jewellery Export Promotion Council to the effect that the event for which the goods are being imported has been approved or sponsored or being held by them.

- (2) the importer shall execute a bond equal to the value of the goods along with a bank guarantee or cash deposit equal to 110% of the duty that would be payable on the goods but for the exemption contained herein:

Provided that where the import is by the Central Government, State Government, Union territory Administration, a Diplomatic Mission in India or any of the International organisations notified under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the importer shall not be required to furnish a bank guarantee or cash deposit.

- (3) the goods shall not be removed from the place of the event, without the permission of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be;
- (4) the goods shall be capable of identification at the time of re-exportation;
- (5) the importer shall follow the procedure for proper identification of the goods, that may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; and
- (6) the goods shall be re-exported within a period of six months from the date of order permitting clearance of the goods issued under section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962):

Provided that where the import is by the Central Government, State Government, Union territory Administration, a Diplomatic Mission in India or any of the International organisations notified under section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Commissioner of Customs may, on an application made in this regard, extend this period for a period of six months, each time, but not exceeding two years from the date of order issued under section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962):

Provided further that the goods imported under this notification may on any date before the expiry of the period allowed for re-export, be entered for home consumption, in accordance with any law applicable to such goods and on payment of the duties of customs which would be payable in respect of such goods, but for the exemption contained in this notification, along with the applicable interest:

Provided also that the requirement of re-exportation shall not apply in the case of perishable goods, damaged or deteriorated goods subject to the conditions that,-

- (a) the goods are abandoned free of all expense to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be; or

- (b) the goods are destroyed under customs supervision, with the permission of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be.

Provided also that the requirement of re-export shall not apply to such quantity and value of the goods, as the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, is satisfied is reasonable, having regard to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor's participation therein, subject to the conditions that the goods either imported as such or produced from imported materials at that event were,-

- (a) supplied free of charge to the visiting public at the event as samples, for individual use or consumption; or
- (b) consumed or destroyed in the course of demonstration; or
- (c) used up in constructing, furnishing or decorating the temporary stands of exhibitors at an event.
2. Nothing contained in the fourth proviso to condition (6) of paragraph 1 shall apply to,-
- (i) gems and jewellery, all types;
- (ii) drugs and medicines; and
- (iii) clocks and watches.
3. This notification shall not apply to the following goods, namely:-
- (i) wines, spirits and other alcoholic beverages, and
- (ii) tobacco and goods made thereof.

Schedule - I

Goods

1. Goods intended for display or use at an event specified in Schedule II.
2. Goods intended for use in connection with the display of goods, including,-
 - (a) construction and decoration material, including electrical fittings, for the temporary stands of exhibitors;
 - (b) publicity material such as printed matter, catalogues, advertising posters, calendars, photographs, including on electronic media as well as apparatus for use therewith.
3. Interpretation apparatus, sound recording apparatus and such similar equipment.
4. Films of an educational, scientific or cultural character.
5. Printed matter.
6. Films imported for exhibition at a film festival approved by the Central Government.
7. Aviation turbine fuel contained as remnant fuel in an aircraft when it arrives from outside India and which is consumed during an aero show.

Schedule - II

Events

1. Trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair, or similar show.
2. Exhibition, conference or congress.
3. Any event organised to promote any branch of learning, art, craft, sport or scientific, educational, cultural activity, promote friendship between peoples, religious knowledge or worship.
4. Film festival approved by the Central Government.
5. Representative meeting of an official or commemorative character.
6. Aero show organised by the Central Government.
7. Any demonstration before the Central Government, State Government or Union territory Administration, as the case may be.
8. Any event certified by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry administratively concerned to the effect that the event is approved and sponsored by the Government

of India or State Government or Union territory Administration, as the case may be.

Explanation.- The events specified in this Schedule shall not include exhibitions organised for private purposes in shops or business premises for the sale of foreign goods.

Schedule - III

Declaration

I/We (Name/Address of Importer) holding IEC No. _____ declare that the goods imported under Bill of Entry No. _____ dated _____ are intended for display or use at _____ *(particulars of the event along with the serial no. as per Schedule II)* to be held at (details of venue) from _____ to _____.

(Signature)

(Name)

(Designation)

Contact Telephone No.

Email

Date:

Place:

[F.No. 18000/1/2015-OSD(ICD)]

SATYAJIT MOHANTY, Director